संख्याः 101 /नौ-4-10-20लेखा/09

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी, 2010

विषयः नगर निगमों में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के 06 पदों का सृजन के संबंध में।

महोदय,

नगर निगमों में मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के पदों के सृजन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 06 नगर निगम लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ में कुशल वित्तीय प्रबन्धन हेतु नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-532 के अन्तर्गत वित्त लेखा सेवा के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी वेतनमान रू. 12000-16500 पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड रू. 15600-39100 (ग्रेड पे रू. 7600) में 01-01 पद (कुल 06 पद) 28 फरवरी, 2010 तक की अवधि तक के लिए अस्थायी रूप से सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, वशर्ते कि उक्त पद बिना किसी सूचना के या उसके पूर्व ही समाप्त न कर दिये जाये।

2- उक्त पदों के सापेक्ष उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनाती की जायेगी।

3- उक्त पदों पर होने वाला व्यय-भार सम्बन्धित नगर निगमों द्वारा अपने संसाधनों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-150/दस-10, दिनांक-04.02.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त सेवायें अनुभाग-2/वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विपिन कुमार द्विवेदी)
विशेष सचिव।